

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क.-422 / 2014

संस्थित दिनांक-22.05.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

विरुद्ध

1. मनोज पिता झामसिंह कार्तिके, उम्र 35 साल, जाति कतिया,
निवासी खमरोटी मारारीटोला थाना बिछिया, जिला मण्डला (म.प्र.)
2. शकुनबाई पति झामसिंह कार्तिके, उम्र 55 साल, जाति कतिया,
निवासी खमरोटी मारारीटोला थाना बिछिया, जिला मण्डला (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 29 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 12.03.2014 से चार वर्ष पूर्व तक ग्राम भण्डारपुर थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत फरियादिया रीना कार्तिके के पति एवं सास होते हुये दहेज की मांग को लेकर रीना कार्तिके को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया एवं विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से दहेज में सोने की चैन और 50,000 / - रुपये की मांग की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया रीना कार्तिके ने दिनांक 12.03.2014 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसकी शादी 24 अप्रैल 2008 को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मनोज कार्तिके निवासी खमरोटी मारारीटोला के साथ हुआ था। उसका पति मनोज कार्तिके एवं सास शकुनबाई दहेज में सोने की चैन एवं 50,000 / -

रुपये की मांग को लेकर मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 40/14 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपीगण को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष हैं फरियादिया ने साधारण से विवाद के चलते उनके विरुद्ध पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण तैयार कर उन्हें झूठा फंसाया है।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपीगण ने दिनांक 12.03.2014 से चार वर्ष पूर्व तक ग्राम भण्डारपुर थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत फरियादिया रीना कार्तिके के पति एवं सास होते हुये दहेज की मांग को लेकर रीना कार्तिके को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया ?

(ब) क्या आरोपीगण ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया रीना कार्तिके से विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से दहेज में सोने की चैन और 50,000/- रुपये की मांग की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ' एवं 'ब' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ' एवं 'ब' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी रीना कार्तिके (अ.सा. 1) का कहना है कि आरोपी मनोज से उसका विवाह 24 अप्रैल 2008 को सामुहिक विवाह भण्डारपुर में सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद में वह ससुराल खमरोटी मरारीटोला में चार-पांच वर्ष तक रही। आरोपी मनोज शराब पीकर आता था और लड़ाई झगड़ा करता था और बोलता था कि तेरे मां बाप ने मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया और उसके साथ मारपीट करता था। उसने बिछिया थाना में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, जो प्रदर्श पी-01 है। उसने उसके पति के साथ तलाक वाला समझौता कर लिया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि आरोपीगण उसे दहेज में सोने की चैन और 50,000/- रुपये की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे एवं उसके माता-पिता द्वारा आरोपीगण की दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया तथा उसने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात उसके माता-पिता को नहीं बतायी थी व पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है।

(08) अभियोजन साक्षी सुरेश विजयवार (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 12.03.2014 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादिया रीना कार्तिके की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 40/2014 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। दिनांक 13.03.2014 को घटनास्थल पर जाकर फरियादिया की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। फरियादिया रीना कार्तिके एवं गवाह देवकीबाई, नरेश, टेकचंद नागवंशी, अजय नागवंशी तथा नेमीचंद नागवंशी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 27.03.2014 को आरोपी मनोज कार्तिके को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श

पी-04 तैयार किया था तथा उसके द्वारा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की परिजनों को दी गई थी। विवेचना कार्यवाही पूर्ण होने पर चालानी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया।

(09) अभियोजन साक्षी नेमीचंद (अ.सा. 2) का कहना है कि आरोपी मनोज उसका दामाद है और आरोपी शकुनबाई उसकी समधन है तथा फरियादिया उसकी पुत्री है। उसने उसकी लड़की की शादी अच्छे से की थी और हसी खुशी से घर से विदायी की थी। उसकी लड़की एवं दामाद का पारिवारिक विवाद हो गया इस कारण उसकी लड़की डेढ़ वर्ष से उसके पास रह रही है और उसके ससुराल नहीं जा रही है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि उसकी लड़की रीना कार्तिके ने उसके पति एवं सास द्वारा दहेज में सोने की चैन एवं 50,000/- रुपये की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली बात एवं पति एवं सास द्वारा उसे खाने पीने को नहीं देने और मारपीट करने वाली बात नहीं बतायी थी।

(10) अभियोजन साक्षी देवकी (अ.सा. 5) का कहना है कि उसकी लड़की रीना की शादी 24 अप्रैल 2008 को मनोज कार्तिके के साथ ग्राम खमरोटी में हुई थी। घटना के संबंध में वह नहीं जानती है। उसकी लड़की रीना ने आरोपी मनोज एवं शकुनबाई के द्वारा दहेज में सोने की चैन की मांग पूरी न करने पर उसके साथ मारपीट करने वाली बात नहीं बतायी थी। उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को उसकी लड़की रीना कार्तिक से दहेज में 50,000/- रुपये एवं सोने की चैन की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

(11) अभियोजन साक्षी नरेश शिव (अ.सा. 3) का कहना है कि आरोपी मनोज उसकी भुआ बहन का पति और शकुनबाई उसकी भुआ बहन की सास लगती है। आरोपी मनोज से रीना का विवाह वर्ष 2008 में हुआ था। रीना के पिता नेमीचंद ने उसकी लड़की रीना की शादी अच्छे से की थी और हसी खुशी से घर से विदा किया था। रीना कार्तिके और मनोज का पारिवारिक विवाद हो गया इस कारण रीना कार्तिके डेढ़ वर्ष से उसके पिता

पास रह रही है और उसके ससुराल नहीं जा रही है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि फरियादिया रीना कार्तिके ने उसके पति एवं सास द्वारा दहेज में सोने की चैन एवं 50,000/- रुपये की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली बात एवं पति एवं सास द्वारा खाने पीने को नहीं देने और मारपीट करने वाली बात नहीं बतायी थी।

(12) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादिया ने साधारण से विवाद के चलते उनके विरुद्ध पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उन्हें झूठा फंसाया है जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने आरोपीगण ने दिनांक 12.03.2014 से चार वर्ष पूर्व तक ग्राम भण्डारपुर थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत फरियादिया रीना कार्तिके के पति एवं सास होते हुये दहेज की मांग को लेकर रीना कार्तिके को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया एवं विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से दहेज में सोने की चैन और 50,000/- रुपये की मांग की। इस बात से स्पष्ट इन्कार किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(13) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी रीना कार्तिके (अ.सा. 1) का कहना है कि आरोपी मनोज से उसका विवाह 24 अप्रैल 2008 को सामुहिक विवाह भण्डारपुर में सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद में वह ससुराल खमरोटी मरारीटोला में चार-पांच वर्ष तक रही। आरोपी मनोज शराब पीकर आता था और लड़ाई झगड़ा करता था और बोलता था कि तेरे मां बाप ने मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया और उसके साथ मारपीट करता था। उसने बिछिया थाना में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, जो प्रदर्श पी-01 है। उसने उसके पति के साथ तलाक वाला समझौता कर लिया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि आरोपीगण उसे दहेज में सोने

की चैन और 50,000/- रुपये की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे एवं उसके माता-पिता द्वारा आरोपीगण की दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया तथा उसने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात उसके माता-पिता को नहीं बतायी थी व पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उससे अच्छे से रखा किसी चीज के लिये परेशान नहीं किया। उसने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि आरोपी मनोज और शकुनबाई ने दहेज में सोने की चैन एवं 50,000/- रुपये की मांग की। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़कर नहीं देखा और न ही पुलिस ने उसे पढ़कर बताया था। वह उसके घर स्वयं मर्जी से चली गई। उसके पति ने कभी भी शराब पीकर उसके साथ मारपीट नहीं की। उसने आरोपीगण के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना करने एवं मारपीट करने की रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा भी नहीं बनाया था।

(15) अभियोजन साक्षी सुरेश विजयवार (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 12.03.2014 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादिया रीना कार्तिके की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 40/2014 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। दिनांक 13.03.2014 को घटनास्थल पर जाकर फरियादिया की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। फरियादिया रीना कार्तिके एवं गवाह देवकीबाई, नरेश, टेकचंद नागवंशी, अजय नागवंशी तथा नेमीचंद नागवंशी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 27.03.2014 को आरोपी मनोज कार्तिके को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था तथा उसके द्वारा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की परिजनों को दी गई थी। विवेचना कार्यवाही पूर्ण होने पर चालानी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया।

(16) अभियोजन साक्षी नेमीचंद (अ.सा. 2) का कहना है कि आरोपी मनोज

उसका दामाद है और आरोपी शकुनबाई उसकी समधन है तथा फरियादिया उसकी पुत्री है। उसने उसकी लड़की की शादी अच्छे से की थी और हसी खुशी से घर से विदायी की थी। उसकी लड़की एवं दामाद का पारिवारिक विवाद हो गया इस कारण उसकी लड़की डेढ़ वर्ष से उसके पास रह रही है और उसके ससुराल नहीं जा रही है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि उसकी लड़की रीना कार्तिके ने उसके पति एवं सास द्वारा दहेज में सोने की चैन एवं 50,000/- रुपये की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली बात एवं पति एवं सास द्वारा उसे खाने पीने को नहीं देने और मारपीट करने वाली बात नहीं बतायी थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी तथा उसकी लड़की रीना ने उसे कभी नहीं बताया था कि उसका पति व उसकी सास दहेज में उससे 50,000/- रुपये एवं सोने की चैन की मांग करते हैं।

(17) अभियोजन साक्षी देवकी (अ.सा. 5) का कहना है कि उसकी लड़की रीना की शादी 24 अप्रैल 2008 को मनोज कार्तिके के साथ ग्राम खमरोटी में हुई थी। घटना के संबंध में वह नहीं जानती है। उसकी लड़की रीना ने आरोपी मनोज एवं शकुनबाई के द्वारा दहेज में सोने की चैन की मांग पूरी न करने पर उसके साथ मारपीट करने वाली बात नहीं बतायी थी। उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को उसकी लड़की रीना कार्तिक से दहेज में 50,000/- रुपये एवं सोने की चैन की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे।

(18) अभियोजन साक्षी नरेश शिव (अ.सा. 3) का कहना है कि आरोपी मनोज उसकी भुआ बहन का पति और शकुनबाई उसकी भुआ बहन की सास लगती है। आरोपी मनोज से रीना का विवाह वर्ष 2008 में हुआ था। रीना के पिता नेमीचंद ने उसकी लड़की रीना की शादी अच्छे से की थी और हसी खुशी से घर से विदा किया था। रीना कार्तिके और मनोज का पारिवारिक विवाद हो गया इस कारण रीना कार्तिके डेढ़ वर्ष से उसके पिता

पास रह रही है और उसके ससुराल नहीं जा रही है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि फरियादिया रीना कार्तिके ने उसके पति एवं सास द्वारा दहेज में सोने की चैन एवं 50,000/- रुपये की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली बात एवं पति एवं सास द्वारा खाने पीने को नहीं देने और मारपीट करने वाली बात नहीं बतायी थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और न ही उसने पुलिस को प्रदर्श पी-03 के ए से ए भाग के कथन दिये था तथा रीना ने उसे कभी भी नहीं बताया था कि उसका पति एवं उसकी सास उससे दहेज में 50,000/- रुपये एवं सोने की चैन की मांग करते हैं।

(19) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया कि आरोपीगण ने दिनांक 12.03.2014 से चार वर्ष पूर्व तक ग्राम भण्डारपुर थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत फरियादिया रीना कार्तिके के पति एवं सास होते हुये दहेज की मांग को लेकर रीना कार्तिके को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया एवं विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से दहेज में सोने की चैन और 50,000/- रुपये की मांग की। फरियादिया स्वयं ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ दहेज की मांग को लेकर किसी भी प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया है और न ही उसने आरोपीगण के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट लिखायी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथन और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। आरोपीगण ने दिनांक 12.03.2014 से चार वर्ष पूर्व तक ग्राम भण्डारपुर थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत फरियादिया रीना कार्तिके के पति एवं सास होते हुये दहेज की मांग को लेकर रीना कार्तिके को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया एवं विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से दहेज में सोने की चैन और 50,000/- रुपये की मांग की। यह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(20) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना

मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक आरोपीगण ने दिनांक 12.03.2014 से चार वर्ष पूर्व तक ग्राम भण्डारपुर थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत फरियादिया रीना कार्तिके के पति एवं सास होते हुये दहेज की मांग को लेकर रीना कार्तिके को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया एवं विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से दहेज में सोने की चैन और 50,000/- रुपये की मांग की। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(21) परिणाम स्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते दोषमुक्त किया जाता है।

(22) प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)